

कड़िका क्रमांक - 26

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग -II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/SCH/153248//2022

07. परियोजना / स्कीम का स्थान :-

- i राज्य/संघ शासित क्षेत्र :- छत्तीसगढ़
- ii जिला :- उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
- iii वन प्रभाग :- वनमंडल कांकेर,
परिक्षेत्र नरहरपुर

iv वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में) :-

परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	रकबा (हे.में)
नरहरपुर	नारंगी वनभूमि कक्ष क्रमांक 1413 (खसरा नंबर 468/1)	6.50
	Total:-	6.50

- v वन की कानूनी स्थिति :- नारंगी वनभूमि आसिमांकित संरक्षित।
- vi हरियाली का धनत्व :- 0.4
- vii प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/ जलीय परियोजनाओं के संबंध में F.R.L. F. R.L.-2 मीटर पर परिगणना और F.R.L.-4 मीटर भी संलग्न की जाए) :- प्रजातिवार एवं गोलाईवार वृक्ष गणना पत्रक संलग्न है।
(पेज क्रमांक 3.1.. से 3.3 तक)
- viii भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। :- व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि की समाकृति समतल एवं पहाड़ी है, जिसकी भौमिकी आरकियन तथा मृदा रेतलीडोमट मृदा के है।
- xi वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी। :- प्रस्तावित स्थल वनसीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

- x क्या प्रस्तावित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबंधित की जाये) :- नहीं ।
- xi क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/ संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें । :- हाँ, व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में दुर्लभ/ संकटापन्न वृक्ष तिनसा, हल्दू, भेलवा, सेहरा, अमलतास, घोटिया, शीशम, मुंडी, सेमल, धामन, खैर, बेल, खम्हार, अर्जुन, पीपल, गिलोय, चिल प्रजाति के वृक्ष तथा सांभर, चौसिंगा, जंगली कुत्ता, बाघ (शेर), तेन्दुआ भालू व पक्षियों में मोर, बूलबूल, किंगफिशर, कठफोड़वा, तोता, मैना, लावा एवं सर्प में धामन, करैत, नाग, गेहूवन, अजगर, अहिराज प्रजाति के वन्य प्राणी विलुप्त प्राय स्थिति में है ।
- xii क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक इस क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें । :- नहीं ।
- 08 प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है । :- आदिवासी विकास विभाग, कांकर द्वारा "कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय" संचालन हेतु जिला-उत्तर बस्तर कांकर (छ.ग.) अंतर्गत ग्राम-सुरही के खसरा क्रमांक-468/1 में रकबा 6.50 हेक्टर वनभूमि पर प्रस्तावित विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	विवरण	रकबा (हे.में)
1.	School Buildings (G+1)	0.995 हे.
2.	Boy's Hostel (G+1) 240 Bedded	
3.	Girls's Hostel (G+1) 240 Bedded	
4.	Warden Residence (Boy's Hostel)	
5.	Warden Residence (Girl's Hostel)	
6.	Kichen & Dining	
7.	Principal Quarter	
8.	Type III Quarters (G+1) - Total 15 Nos Qtrs 8 Nos Qtrs (4 Flats on Each)	
9.	Type III Quarters (G+1) - Total 15 Nos Other 7 Nos Qtrs (4 Flats on G.F., 3)	
10.	Type II Quarters (G+2)- 10 Nos Qbs	
11.	Guest House	
12.	Play Ground	2.94 हे.
13.	DRINKING WATER (Sump, Deep Boring, Overhead Tank, Pump Room)	0.02 हे.
14.	GREEN FEATURES (Surface drain including culvert & storm water drain, External sewage system, Septic Tank/Composite Pits, Rain water harvesting)	0.835 हे.

15.	HORTICULTURE/ LANDSCAPING(Plantation, Garden, Landscaping)	1.48 हे.
16.	OTHERS (Boundary wall, Entry gate with security room, Flag hosting stage, Electric substation, Internal Roads, Internal Pathways)	0.23 हे.
योग :-		6.50

- 09 क्या अधिनियम उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं। :- नहीं।
- 10 प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा –
- i प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खंडों की संख्या, प्रत्येक भू-खंड का आकार :- प्रतिपूर्ति पूरक वनीकरण हेतु पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के दुर्गकोंदल परिक्षेत्र अंतर्गत रकबा 6.50 हे. चयन कर प्रस्तावित किया गया है। तहसील-भानुप्रतापपुर, प.ह.न. 05, खसरा नंबर-66, राजस्व निरीक्षक मंडल-दमकसा
- ii प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मानचित्र। :- संलग्न है। पेज क्रमांक से 66 तक।
- iii रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि :- रोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान से वर्ष 2022-23 हेतु प्रचलित सिंचित दर प्रति हेक्टेयर 878787/- रुपये दर से रकबा 6.50 हेक्टेयर में रोपण हेतु रु. 5712115.5 लाख रुपये प्राप्त कर कैम्पा खाता में जमा कराया जाकर वनमंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा। प्राक्कलन पेज क्रमांक ...38 से ...71 तक संलग्न है।
- iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय। :- रु. 20 करोड़
- v प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तांतरित किया जाए) :- वनमंडलाधिकारी पूर्वभानुप्रतापपुर वनमंडल द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गई भूमि के संबंध में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है। (पेज क्रमांक.. 72... से 74 तक)
- 11 जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पुछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) :- संलग्न है।
- 12 विभाग/जिला प्रोफाइल :-
- i जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल :- कांकेर जि. का भौगोलिक क्षेत्र 7247.959 वर्ग कि.मी. है।
- ii जिले का वन क्षेत्र :- जिले का कुल वन क्षेत्रफल 3686.685 वर्ग कि.मी. है।
- iii मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र :- वन मंडल अन्तर्गत 1980 से अब तक कुल 12 प्रकरणों में 126.569 हैं. वन भूमि वनेत्तर प्रयोग में लाया गया है।
- iv 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण –
- क दंड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- व.म. अन्तर्गत व.भू. स्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध अब तक 1389.365 हे.भूमिपर वैकल्पिक वृक्षारोपण किया गया है।
- ख वनेत्तर भूमि पर :- नहीं।
- v तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति –
- क वन भूमि पर :- विभिन्न परियोजनाओं के विरुद्ध रोपित किये गये क्षेत्रों के मूल्यांकन से प्रतिपूरक वनीकरण में वृद्धि हुई है।
- ख वनेत्तर भूमि पर :- वनेत्तर भूमि पर वन मंडल में क्षतिपूर्ति वनीकरण नहीं हुआ है।

- 13 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध :- कार्य राष्ट्रहित एवं जनहित में होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कन्या एकलव्य आवासीय विद्यालय निर्माण हेतु वन भूमि के व्यववर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :- 27/06/2022

स्थान :- कांकेर

आलोक बाजपेई

(भा.व.से.)

वन मण्डल अधिकारी

वनमण्डल कांकेर

कांकेर वनमण्डल कांकेर